coils and skein the swallable quantity is distributed to the tube makers and other consumers on the basis of their export commitment, past off-take and capacity. This ensures equitable distribution among the various users.

(e) It is expected that the production of H.R. Coils/skelp will increase in the coming months and bigger quantities will be offered to the tube industry. Arrangements have been made for import of these coils to supplement domestic production.

## स्टेनोपाफरों को स्वाधी बनाना

2738. भी टी॰ एस॰ नेनी : क्या संसदीय कार्य तथा अस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) श्रम मजालय तथा इसने प्रधीनस्थ एवं सम्बद्ध कार्यालयों में स्टनोग्राफरों के स्थायी पद किसने हैं ;

- (क) स्टेनीबाफर के प्रत्येक ब्रेड में उनकी वर्तमान संख्या किसनी-किसनी है; भीर
- (य) क्या सरकार इन स्टेनोसाफरों के मौलिक पदों पर स्थायी रूप से नियुक्त करने के लिए तरकाल कार्यवाही करेगी !

संसदीय कार्य तथा अस मंत्री (श्री रवोण्ड वर्मा): (क) से (ग). श्रम मंत्रालय के सचिवालय ग्रीर उसके संलग्न कार्यालयों के सम्बन्ध में ग्रेपेक्षित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है ।

श्रधीनस्थ कार्यालयों के सम्बन्ध में सूचना एकत्र की जा रही है भीर उचित समय में सदन की मेज पर रखंदी जाएगी।

विवरण
(क) प्राप्तिकृत स्थायी मंख्या पर भ्राक्षारित स्टेनोग्राफरों के स्थायी पदों की संख्या

कार्या <b>लय</b>	ग्रेड "क"	ग्रेड "ब"	ग्रेड ''ग''	ग्रेड "ष"	
मध्य सचिवालय	6	3	18	32 (इसमें प्राधिकृत स्थायी संख्या को निर्धारित करने के लिये छुट्टी भीर प्रसिनियुक्ति रिजर्व भी गामिल है)।	
रोजगार और प्रशिक्षण महा-	-	1 .	10	14	
मुख्य थमायुक्त (केन्द्रीय)	_		4	7	
निदेशक, श्रम ब्यूरो, चंडीगढ़/ शिमला	_	-	2	9	
<sup>महानिदेशक कारखाना सलाह</sup> सेवा श्रीर श्रम विशान <sup>केन्द्र</sup> , बम्बई	-	-	4	2	
चौद	6	.4	38	64	

## (ख) स्टेनोबाफर के प्रत्येक ग्रह में वर्तमान संख्या (स्थायी और वस्थायी बोनों पढ़ों के लिए)

कार्यालय	ग्रेड "क"	चेड "ब"	ग्रेड 'ग"	ग्रेड ''घ''
मुख्य सिववालय	8	1*	21	19 (स्बीकृत पर्वो में खुट्टी रिजर्व भीर प्रतिनियुक्ति रिजर्व सामिल नहीं है।)
हमानिदेशक, रोजगार भौर प्रशिक्षण	-	1	15	25
मुख्य श्रमायुक्त (केन्द्रीय)		2	4	7
निवेशक, श्रम ब्यूरो/चंडी- गढ़, शिमला	-	-	<b>2</b>	8
महानिदेशक, कारखाना सलाह सेवा भौर श्रम विज्ञान केन्द्र, बम्बई		I	3	1
षोड़	8	5	45	70

\*ग्रड "ख" के दो पदों का केन्द्रीय सिचवालय आशुलिपिक सेवा के ग्रेड "क" में ग्रेड बढ़ा दिया गया है।

(ग) प्रत्येक ग्रेड में स्थायीकरण के सम्बन्ध में स्थिति निम्न है :

> बेड 'क'--वर्तमान प्राधिप्रत स्थायी पदों पर तीन व्यक्ति इस ग्रेड में पहले से ही मौलिक रूप से नियुक्त हैं। जुलाई, 1978 में वर्तमान संख्या 4 से बढ़ा कर 6 कर दी गई भीर स्थायी पदधारी के सेवा से निवृत्ति के परिणामस्वरूप 1-12-1978 को एक स्थायी रिक्ति हुई । पान मधिकारियों को स्थायी करने के लिए कार्यवाही शुरू की जा रही है।

ब्रेड "ड"--इस ग्रेड में वतमान चार पदों पर तीन व्यक्ति हुए हैं, ग्रेड "ख" में शब रिक्ति के लिए एक मात श्रधिकारी को स्वामी करने के लिए कार्यवाही की जाएगी।

चेड "ग"--इस ग्रेड में वतमान प्राधिकृत स्थायी पदो पर 34 व्यक्ति मंश्लिक पद धारण किए हुए हैं। इस गड में पाल मधिकारियों को स्थायी करने के लिये कार्यवाही पहले से ही शुरू की जा चुकी है।

चेड "च"-जलाई. 1978 में इस ग्रेड में प्राधि हत स्थायी पदों की संख्या 58 से बढ़ाकर 64 कर दी गई। इस ग्रेड में 28 व्यक्ति नौलिक पद-धारण किए हुए हैं। ग्रेड में पाल 20 धिध कारियों को स्थायी करने के लिए कार्यवाही ग्रन्तिम चरण में है। प्राधि हत स्थायी पर्दों के बाकी 16 पर्दों के लिए पान चिक्रारियों को स्वायी करने के लिए कार्यवाही की जानी है क्योंकि वर्ष, 1978 के लिए उनकी गोपनीय रिपोटौं की प्रताकाकी जा रही है।

## Enquiry against C.P.F.C.

2739. SHRI P. KANNAN: Will the Minister of PARLIAMENTARY AFFAIRS AND LABOUR be pleased to state:

- (a) whether the actions of the Central Provident Fund Commissioner have come in for serious Notice and enquiry; and
- (b) if so, the nature of the alleged improrieties and the action taken thereon?

THE MINISTER, OF STATE IN THE MINISTRY OF LABOUR AND PARLIAMENTARY AFFAIRS (DR. RAM KIRPAL SINHA); (a) and (b). Departmental proceedings have been initiated for alleged interference with the quasi-judicial powers of certain Regional Provident Fund Commissioners.

## Number of Passport Applications Received at R.P.O., Ahmedahed

2740. SHRI F. P. GAEKWAD: Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state:

(a) the number of passport applications received by the Regional Pass-

- port Office at Ahmedabad between 1st July and 31st October, 1978;
- (b) of these applications, how many of them were issued passport;
- (c) whether it is a fact that most of the applications are for Middle East countries; and
- (d) is there any normal time-limit prescribed for disposal of these applications?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI SAMARENDRA KUNDU): (a) A total number of 20,271 applications for passports had been received by the Regional Passport Office, Ahmedabad, between 1st July and 31st Oct., 1978;

- (b) of these, passports had been issued on 19,869 applications.
- (c) It is not possible to ascertain this information from the particulars available in the Passport applications. With effect from 15th August, 1977, the Government, in implementation of a policy of liberalisation in passport matters, are granting endorsements on passports for "All countries except South Africa and Colony of Rhodesia". Most of the applicants do not, therefore, mention in their application, the country of their destination.
- (d) If the applications are in order, a normal time-limit of 5 to 6 weeks for issuance of passports has been prescribed in respect of applications verified by Members of Parliament or by others so authorised. This also normally applies to those applications supported by a prescribed affidavit. On both these categories of applications the Passport Officers have been authorised to issue passports without prior police verification.

In respect of applications which are not verified by the prescribed authorities or, which are not supported by the Sworn Affidavit, a normal time-limit of 3 to 4 months applies for the issuance of passports.